U;k;ky; HkkicU/k vf/kdkjh ,o inu jktLo
vihy ikf/kdkjh chdkusj

Ekgkohj [kjkMh vkj0,0,l0

vihy l0 08@2021

1. श्रीमती गायत्री देवी पत्नी रामकिशन पारिक आयु 40 वर्ष जाति पारीक निवासी नोखा तहसील नोखा जिला बीकानेर ।

vihykV

cuke

1. राजूसिंह पुत्र नरसिंह जाति रावणा राजपुत निवासी ग्राम नोडिया तहसील बीदासर जिला चूरू ।
2. नरसिंह पुत्र मंगेजसिंह जाति रावणा राजपुत निवासी ग्राम नोडिया तहसील बीदासर जिला चूरू ।
3. श्रीमती मीरा कंवर पत्नी नरसिंह जाति रावणा राजपुत निवासी ग्राम नोडिया तहसील बीदासर जिला चूरू ।
4. दीपूकंवर पुत्री नरसिहं पत्नी लक्ष्मणसिंह जाति रावणा राजपुत निवासी पाण्डूराई छापर तहसील सुजानगढ जिला चूरू ।
5. कानू कंवर पुत्री नरसिंह पत्नी सिरूसिंह जाति रावणा राजपुत निवासी वार्ड न0 1 गुर्जर बास बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू ।
6. रामू कंवर पुत्री नरसिंह पत्नी हडमान जाति रावणा राजपुत निवासी पाण्डुराई छापर तहसील सुजानगढ जिला चूरू ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू ।
8. श्रीमान उप पंजीयक कार्यालय बीदासर

jLikM.Vl

mifLFkr%& 1. श्री नवीन सारस्वत अधिवक्ता अपीलांट

U;k;ky; mi[k.M vf/kdkjh chnklj ftyk pw: ds fu.k; fnukd 16-09-2020 ds fo:} vihy vUrxr /kkjk 225 jktLFkku dk'rdkjh vf/kfu;e 1955

fu.k; दिनांकः—29.07.2022

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय बीदासर के निर्णय दिनांक 16.09.2020 के विरूद्व न्यायालय हाजा में पेश हुई है । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खेत ख0न0 536/323 तादादी 1.6694 हैक्टयर, ,ख0न0 535/323 तादादी 1.6440 कृषि भूमि वाके रोही ग्राम नोडिया तहसील बीदासर में स्थित है के संबंध में रेस्पो0 सं0 1 राजूसिंह आदि द्वारा अपनी पुश्तैनी संयुक्त अविभाजित भूमि बताते हुऐ दावा घोषणात्मक दावा दुरूस्ती एवं चिर निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जिसमें अपीलांट को पक्षकार नही बनाया गया व अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अपीलांट जारी कर दी गयी जिसके विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की गयी है ।
2. अपीलांट् पक्ष के योग्य अभिभाषक ने अपील के तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है कि वादगत कृषि भूमि ख0न0 536/323 तादादी 1.6694 हैक्टयर (6.10 बीघा) एव ख0न0 535/323 तादादी 1.6640 हैक्टयर (6.10 बीघा) रेस्पो0 सं0 2 नरसिंह पुत्र मंगेज सिह के नाम रेकार्ड खातेदारी दर्ज चली आ रही है के संबंध में रेस्पो0 द्वारा अपनी पुश्तैनी संयुक्त व अविभाजित भूमि बताते हुए दावा घोषणात्मक रेकार्ड दुरूस्ती व चिर निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया ओर उसके साथ ही धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया । उक्त दावे में अपीलांट को पक्षकार नही बनाया गया । प्रार्थना पत्र पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय रूप से अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अपीलांट जारी की गयी । उक्त दावे में किसी भी प्रकार की आपत्तिक या आवश्यक स्थिति नही थी, इसलिय अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश बिना किसी आवश्यक व आपत्तिक स्थिति को ध्यान में रखकर जारी नही की गयी । रेस्पो0 सं0 1 राजुसिह द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में गलत तथ्य पेश करते हुए वादपत्र/प्रार्थना पत्र इस आश्य का पेश किया गया कि वादगत ख0न0 323 वर्तमान ख0न0 536/323 को मंगेज सिह की अचल सम्पति संयुक्त अविभाजित भूमि बताई गयी जबकि वादगत कृषि भूमि ख0न0 323 (536/323) तादादी 13.02 बीघा नरसिंह द्वारा जरिये बैयनामा दिनांक 15.06.1962 को लादूराम व रामरख पुत्र सुखदेवाराम ब्राहमण निवासी नोडिया से सप्रतिफल खरिदशुद्वा है जो बैयनामा उप पंजीयंक सुजानगढ में दिनांक 15.06.1962 को पंजीबद्व शुद्वा है । इस प्रकार वादगत कृषि भूमि ख0न0 323(536/323) नरसिंह की स्वंअर्जीत सम्पति है । नरसिंह पुत्र मंगेज सिंह द्वारा वादगत कृषि भूमि को जरिये बैयनामा दिनांक 11.09.2020 को अपीलांटा को विक्रय कर दी जिसका बैयनामा उपपंजीयक कार्यालय बीदासर के यहां दिनांक 11.09.2020 को पंजीबद्व किया हुआ है । रेस्पो0 द्वारा दावा पेश करते समय खेत ख0न0 536/323 तादादी 1.6694 हैक्टयर पर नरसिह रेस्पो0 सं0 2, वादी/रेस्पो0 सं0 1 का कोई अधिकार, हक, हित व स्वामित्व नही था । जिसके बावजुद रेस्पो0 सं0 1 व 2 के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय को मुगालते में रखकर अपीलांट को पक्षकार नही बनाया गया । अपीलांटा को अधिनस्थ न्यायालय में दावा/प्रार्थना पत्र में पक्षकार नही बनाया गया जिसकी जानकारी होने के पश्चात

अपीलांटा द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 एवम सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश कर दिया गया व पूर्व मे जैरकार अपील नरसिंह बनाम राजूसिंह माननीय न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनने का पेश किया गया था परन्तु नरसिह व उसके पुत्र राजुसिंह कि मिलिभगती होने से नरसिंह ने उक्त अपील विड्रो कर ली थी परन्तु माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नई अपील पेश करने का आदेश प्रदान किया जिस बाबत धारा 96 सीपीसी का पृथक से पेश किया गया है । अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.09.2020 को अपास्त किया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे ।

3. अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 ता 5 के पिता/पति नरसिंह पुत्र मंगेजसिह के नाम रोही ग्राम नोडिया में खातेदारी खेत ख0न0 323 हाल ख0न0 535/323 रकबा 1.6640 हैक्टयर व ख0न0 536/323 रकबा 1.6694 हैक्टयर की खातेदारी रेस्पो सं0 2 की खातेदारी नरसिंह पुत्र मंगेज सिंह के नाम चली आ रही है । उक्त कृषि भूमि नरसिंह के पिता मंगेजसिंह के वक्त की संयुक्त हिन्दु परिवार की कोपासनरी भूमि रही है । वादगत खेत ख0न0 536/323 रकबा 1.6694 हैक्टयर में प्रार्थी एवम अप्रार्थी सं0 1 ता 5 का मालिकाना काबिजाना अधिकार है उक्त खसरा में पुख्ता पक्की बारामासी ढाणी बना रखी है । यही वादगत खसरा परिवार की आय का मुख्य स्त्रोत है । विवादित खेत की खातेदारी नरसिंह के नाम से दर्ज चली आ रही है जो की पैतृक कृषि भूमि है । जिस पर नरसिंह के वारिसान का पुरा हक हिस्सा है । वादगत कृषि भूमि की खातेदारी दुरूस्त करवा सभी वारिसानो के नाम दर्ज करवाने हेतु दावा अधिनस्थ न्यायालय में पेश किया गया क्यों कि अप्रार्थी सं01 नरसिंह उक्त गलत खातेदारी की आड में विवादित भूमि विक्रय हस्तांतरित एवम प्रार्थी को बेदखल करने की फिराक में है । जिस बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गयी है ।

4. हमने अधिवक्ता अपीलांट की बहस सूनी व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया जिससे साबित होता है कि नरसिंह पुत्र मंगेजसिंह के पांच वारिसान रेस्पो0 सं0 1 व 3 ता 6 है । वादगत कृषि भूमि ख0न0 323 (536/323) तादादी 13.02 बीघा नरसिंह द्वारा जरिये बैयनामा दिनांक 15.06. 1962 को लादूराम व रामरख पुत्र सुखदेवाराम ब्राहमण निवासी नोडिया से सप्रतिफल खरिदशुद्वा है जो बैयनामा उप पंजीयंक सुजानगढ में दिनांक 15.06.1962 को पंजीबद्व शुद्वा है । इस प्रकार वादगत कृषि भूमि ख0न0 323(536/323) नरसिंह की स्वंअर्जीत सम्पति है । नरसिंह पुत्र मंगेज सिंह द्वारा वादगत कृषि भूमि को जरिये बैयनामा दिनांक 11.09.2020 को अपीलांटा को विक्रय कर दी जिसका बैयनामा उपपंजीयक कार्यालय बीदासर के यहां दिनांक 11.09.2020 को पंजीबद्व किया हुआ है । उपरोक्त वादगत कृषि भूमि नरसिंह पुत्र मंगेज सिह की स्वअर्जीत सम्पति है । वह इसे विक्रय करने में पुर्णतयः सक्षम है । उक्त वादगत कृषि भूमि ख0न0 536/323 तादादी 1.6694 हैक्टयर नरसिंह द्वारा अपीलांटा गायत्री देवी को विक्रय

कर दी गयी है जिस कारण से गायत्री देवी वादगत खसरे में खातेदारी प्राप्त करने की अधिकारिनी है ।

5. अतः उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवम अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.09.2020 को अपास्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि वादगत खसरा नम्बर 536/323 तादादी 1.6694 हैक्टयर में श्रीमती गायत्री देवी पत्नी रामकिशन का नाम नियमानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जावे । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो । अधिनस्थ न्यायालय की मूल प़त्रावली मय निर्णय प्रति के लोटाई जावे ।
6. निर्णय आज दिंनाक 29.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(egkohj [kjkM+h½
Hkw izcU/k vf/kdkjh ,oa
insu jktLo vihy izkf/kdkjh
chdkusj